

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 73/2022 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2022/96

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़  
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्त

बनाम

1. मंगतु पुत्र लाभु जाति खारवाल निवासी सूरतगढ़ (मृत्तक) जरिये उदय सिंह  
पुत्र बालमुकुन्द जाति खारवाल निवासी वार्ड नं. 31, सूरतगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री सुभाष सहू — अभिभाषक अपीलांत  
श्री बालकिशन शर्मा — अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं. 1



निर्णय

दिनांक 04.02.2026

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के  
अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक  
11.11.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस  
प्रकार है कि—


1— वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 485/19 की तादादी  
1.936 हैक्टेयर गैर मुमकिन भूमि है, जो रेस्पोंडेंट संख्या 1 को टीसी आवंटित  
भूमि है। उक्त आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण रेस्पोंडेंट सं. 1  
ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक  
31.08.2006 के विरुद्ध अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त  
जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित करते  
हुए स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से  
व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

संभागीय आयुक्त  
बीकानेर

2- अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ व मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.221 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 485/19 की तादादी 1.936 हैक्टेयर गैर मुमकिन भूमि है, जो पूर्व में रेस्पो. सं. 1 को टी.सी. आवंटन था। अधीनस्थ न्यायालय ने 17 वर्ष बाद पेश अपील को अंदर मियाद मानकर कानूनी भूल की है। इसकारण से रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कब्जा काशत नहीं रहा है। उक्त भूमि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेशों के मुताबिक कस्बा सूरतगढ़ के पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण खारिज किया जाकर नगरपालिका सूरतगढ़ को सौंप दिया गया। जैर आदेश अपील अधीनस्थ न्यायालय में 17 वर्ष बाद पेश हुई, जिसे बिना किसी संतोषजनक कारण मियाद माफ कर दिया गया। वादगत रकबा नगर पालिका की 2 किमी की परिधि में आ चुका है, जहां न तो खातेदारी मिल सकती है और न ही टी.सी. आवंटन नवीनीकरण किया जा सकता है। वादगत रकबा का स्वामित्व/कब्जा अपीलांट के पास है। अपीलाधीन रकबा अपीलांट को दिनांक 31.08.2006 को हस्तांतरित हो चुका है। अपीलांट द्वारा इस रकबा में आवादी विस्तार हेतु सड़कों का निर्माण करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के नाम दर्ज गैर मुमकिन भूमि जहां अपीलांट द्वारा विकास कार्य करवाये गये हैं, की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरुद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।


4- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 31.08.2006 रेस्पो. सं. 1 को बिना सुने,



सहाय्य आयुक्त  
टीकापुर

विना साक्ष्य के जारी कर रेस्पो. के 40 वर्ष पुराने टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलांट को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें सन 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत सन् 1970-71 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन से लेकर संवत् 2061 तक नवीनीकरण होता रहा है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो. का रकबा नगरपालिका पैराफैरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 31.08.2006 को निरस्त किया जाना उचित एवं सही है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट का वादगत रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि रेस्पो. का उक्त रकबा 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है। तहसीलदार सूरतगढ़ को रेस्पो. के उक्त टी.सी. आवंटन को खारिज करने का अधिकार ही नहीं है। अपीलांट द्वारा वादगत भूमि में कोई स्कीम नहीं चला रखी है। आदेश दिनांक 31.08.2006 में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं वादगत भूमि वर्ष 1970-71 से ही आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सही एवं नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के संबंध में आर.आर.टी. 2023(2) पेज संख्या 1085 को अवलोकनीय बताया है।

5- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित कर रेस्पो. सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 को निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि उक्त वादगत भूमि तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 द्वारा नगर पालिका सूरतगढ़ की परिधि में आ गई है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना तथा मियाद के बिन्दु को तय किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है।

  
संभोगीय आधुक्ता  
जे.कालेर

उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ को समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

6- तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राघ मीना)  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर